राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि.

पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर

CIN-U75132RJ1978SGC001781

फोन : 2227513, 2227514, 2227665, ई-मेल : rajseedsprod@gmail.com

निगम के संचालक मण्डल की 239 वीं बैठक दिनांक 12.12.2024 में अनुमोदित उत्पादन नीति निम्नानुसार जारी की गई है, जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रमाणित एवं आधार बीज उत्पादन नीति

बीज उत्पादन प्रक्रिया :-

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड़ द्वारा विभिन्न फसलों के उच्च गुणवत्ता के आधार व प्रमाणित बीजों का उत्पादन निगम के फार्म, विश्वविद्यालय फार्म, एटीसी फार्म, एन.एस.सी. फार्म, निगम के हिस्साधारी, पंजीकृत उत्पादकों एवं नवीन उन्नतशील कृषकों के खेतों पर लिया जावेगा। कृषक स्वयं की, पारिवारिक (सहमति के आधार पर) कृषि योग्य सिचिंत भूमि पर अधिकतम 20 हैक्टेयर व न्यूनतम 1.2 हैक्टर में राजसीड्स से बीज उत्पादन कार्यक्रम ले सकेगें। बीज उत्पादन कार्यक्रम अपने खेत पर लेने के लिए सर्वप्रथम कृषक को पंजीकरण कराना अनिवार्य है जिसके लिए स्वयं या ई-मित्र के माध्यम से भारत सरकार के साथी पोर्टल पर अथवा अपने क्षेत्र के राजसीड्स कार्यालय से सम्पर्क कर निर्धारित पंजीकरण फार्म एवं निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा कराकर करा सकेगें। तत्पश्चात निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रजनक/आधार बीज की बुवाई बतायी गयी विधी के अनुसार कृषक को करनी होगी। बीज फसल उगने के पश्चात् प्रमाणीकरण संस्था प्रतिनिधी द्वारा समय-समय पर बीज उत्पादन प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया जावेगा।

बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रतिनिधी द्वारा बतायी गयी पृथक्करण दूरी व अवांछित पौधे, रोग जनित पौधे आदि निकालने संबंधित सलाह का बताये अनुसार कृषक द्वारा पालन किया जाना आवश्यक है जिससे गुणवत्ता परक बीज का उत्पादन हो सके। फसल के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार बीज को साफ बोरियों में भरकर मार्का लगाकर संबंधित बीज विधायन केन्द्र पर कृषक द्वारा जमा कराया जावेगा। बीज की भौतिक शुद्वता को निर्धारित स्तर पर बनाये रखने के लिए उक्त बीज का विधायन बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों के पर्यवेक्षण में राजसीड्स के विधायन केन्द्रो पर किया जावेगा। बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों द्वारा विधायित बीज का नमूना बीज परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भिजवाया जावेगा। बीज नमूना मानक पाये जाने पर बीजों को कट्टो में भरकर व प्रमाणीकरण टैग लगाये जाकर प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जावेगा।

(अ) बीज उत्पादन कार्यक्रम के लक्ष्य निर्धारण :–

प्रजनक बीज का फसलवार/किस्मवार इण्डेन्ट निर्धारण करने हेतु संयुक्त निदेशक कृषि आदान, कृषि विभाग, जयपुर, उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, मुख्यालय राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, राजसीड्स के वरिष्ठ अधिकारियों (महाप्रबंधक, वरिष्ठ प्रबन्धक उत्पादन, वरिष्ठ प्रबन्धक विधायन, मुख्य प्रबन्धक विपणन/वरिष्ठ प्रबंधक विपणन व वरिष्ठ प्रबन्धक वित्त) की समिति की अनुशंषा पर किया जावेगा।

मौसमवार (खरीफ, रबी एवं जायद) बीज उत्पादन कार्यक्रम प्रजनक से आधार, आधार से प्रमाणित एवं आवश्यकतानुसार विशेष परिस्थितियों में प्रमाणित–I से प्रमाणित–II बीज उत्पादन के राज्य स्तर पर लक्ष्य निर्धारण राजसीड्स के वरिष्ठ अधिकारियों (महाप्रबन्धक, वरिष्ठ प्रबन्धक उत्पादन, वरिष्ठ प्रबन्धक विधायन, मुख्य प्रबन्धक विपणन/वरिष्ठ प्रबन्धक विपणन एवं वरिष्ठ प्रबन्धक वित्त) की समिति की अनुशंषा पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्धारित किये जावेगें। वरिष्ठ अधिकारियों की समिति पूर्व वर्ष की शेष बीज मात्रा एवं आगामी वर्ष में फसलवार बीज की मांग को ध्यान में रखते हुये बीज उत्पादन कार्यक्रम के लक्ष्यों की अनुशंषा प्रबन्ध निदेशक को करेगी।

(ब) बीज उत्पादन हेतु आवेदन :–

1. बीज उत्पादन के इच्छुक कृषकों/संस्थाओं द्वारा स्वंय, ई–मित्र के माध्यम से एवं अपने क्षेत्र के राजसीड्स कार्यालय से सम्पर्क कर भारत सरकार के साथी पोर्टल पर प्रजनक से आधार एवं आधार से प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए आवेदन किया जावेगा।
2. कृषक बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु आवेदन साथी पोर्टल पर आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाईसेंस का उपयोग कर, कर सकेगे।
3. आन–लाईन आवेदन उपरान्त निगम के पास बीज उपलब्धता एवं वरीयता अनुसार चयनित कृषकों को ही संबंधित निगम संयंत्र कार्यालय से उत्पादन कार्यक्रम आवंटन किया जाता है।

(स) कृषक चयन एवं उत्पादन कार्यक्रम आवंटन :–

1. आन–लाईन बीज उत्पादन आवेदन के पश्चात् कृषक को बीज की कीमत, रजिस्ट्रेशन, निरीक्षण एवं अनुक्रमांक फीस की राशि निगम के खाते में ऑन–लाईन जमा करानी होगी। साथ ही उत्पादन प्रक्रिया हेतु आवश्यक दस्तावेजों जैसे कि जमाबन्दी, नजरी नक्शा, लीज, पहचान पत्र, इत्यादि की प्रतिलिपि निगम कार्यालय की मांग अनुसार उपलब्ध कराया जाना है। अतः निम्न वरीयता अनुसार बीज उत्पादन कार्यक्रम कृषकों को आवंटित किया जावेगा:–

   I. राजसीड्स के फार्म, कृषि विज्ञान केन्द्र के फार्म, कृषि विश्वविद्यालयों के फार्म, कृषि विभाग के फार्म एवं एन.एस.सी. लिमिटेड़ के फार्म।

   II. राजसीड्स के हिस्सेदार कृषक (Share Holders)।

   III. पंजीकृत बीज उत्पादक कृषक जो गत तीन वर्षो से लगातार सिचिंत भूमि पर राजसीड्स का बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहे है एवं जिनके विरूद्व गुणवत्ता एवं इन्टेक संबंधित कोई शिकायत नही है।

   IV. नये प्रगतिशील कृषक जिनके पास स्वयं की सिचिंत भूमि हो एवं बीज उत्पादन में रूचि रखते हो।

V. रबी मौसम में ऐसे कृषकों को बीज उत्पादन कार्यक्रम प्राथमिकता से आवंटित किया जावेगा जिन्होने खरीफ मौसम में भी राजसीड्स का उत्पादन कार्यक्रम लिया था।

VI. सघन क्षेत्र के पंजीकृत कृषक जैसे एक ही ग्राम पंचायत में 20 से अधिक बीज उत्पादक कृषक।

VII. बीज उत्पादन के लक्ष्य शेष रहने पर लीज धारक कृषकों (Lessee) को बीज उत्पादन कार्यक्रम आवंटन किया जावेगा।

2. कृषक स्वयं की, पारिवारिक (खून का रिश्ता) सहमति के आधार पर कृषि योग्य सिचिंत भूमि पर अधिकतम 20 हैक्टर व न्यूनतम 1.20 हैक्टर (बीज प्रमाणीकरण संस्था के नियमानुसार) में ही राजसीड्स का बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जा सकेगा।

3. पंजीकृत कृषक जिनके विरूद्व पूर्व वर्षो में बीज उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत बीज गुणवत्ता संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई एवं सही पाई गई, ऐसे पंजीकृत कृषकों का बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु चयन नहीं किया जावे।

4. पंजीकृत कृषक द्वारा लगातार दो सीजन तक भौतिक सत्यापन में प्राप्त उपज का 80 प्रतिशत रॉ बीज एवं जिन कृषकों के रॉ बीज का भौतिक सत्यापन नही हुआ है उस स्थिति में अनुमानित उपज का 60 प्रतिशत रॉ बीज जमा नही करवाये जाने पर आपातकालीन परिस्थितिया जिनकी सूचना पूर्व में दी गई हो, को छोड़कर जानबूझकर Wilful Defaulter होने की स्थिति में आगामी दो सीजन तक कालीसूचीबद्व किया जावेगा एंव बीज उत्पादन कार्यक्रम आवंटित नही किया जावेगा। बीज उत्पादन कार्यक्रम में उत्पादित बीज की जगह अन्य बीज जमा करवाने के प्रमाण पाये जाने पर, बीज क्षेत्र में अवांछित पौधों के मिश्रण पाये जाने या बीज प्रमाणीकरण के तहत लिये गये नमूनों के लगातार दो बार अमानक पाये जाने अथवा बीज उत्पादन कार्यक्रम अन्य को सबलेट करने पर आगामी दो सीजन तक कालीसूचीबद्व किया जावेगा।

5. पुराने बकायात (Defaulters) कृषकों को बीज उत्पादन कार्यक्रम आवंटित नहीं किया जावेगा। पुरानी वसूली प्राप्त करने के उपरान्त ही उत्पादन कार्यक्रम आवंटित किया जा सकेगा।

6. बीज उत्पादन कार्यक्रम के आवेदन लक्ष्यों से अधिक प्राप्त होने पर क्षेत्रीय प्रबन्धक, संयंत्र प्रबन्धक एवं बीज अधिकारी (उत्पादन) की समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर आनुपातिक रूप से सभी योग्य कृषकों को आवंटन किया जावेगा।

(द) बीज उत्पादन गुणवत्ता संधारण :–

1. बीज उत्पादन कार्यक्रम प्रक्षेत्र में केवल निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रजनक/आधार बीज को ही प्रयोग में लेवें व इसमें अन्य बीज का मिश्रण कदापि न होने दे।

2. बोये गये बीज के खाली कट्टे, थैले, टैग, लेबल, बिल आदि सुरक्षित रखें व स्त्रोत्र सत्यापन के समय प्रमाणीकरण संस्था या निगम प्रतिनिधी द्वारा मॉगने पर प्रस्तुत करे।

3. बुवाई से पूर्व ट्रेक्टर सीड ड्रिल व कटाई–गहाई के समय थ्रैसर व प्लेटफार्म को अच्छी तरह से साफ कर ले जिससे अन्य फसल/किस्म के बीजों के मिश्रण होने से फसल/किस्म का बीज अमानक न हो।

4. बुवाई के समय बताई गई पृथक्करण दूरी का विशेष ध्यान रखे जिससे बीज की आनुवंशिक शुद्वता बनी रहे।

5. फसल निरीक्षण के समय बताये गये अवांछित रोगग्रस्त पौधे, आपत्तिजनक खरपतवार अन्य फसल एवं किस्म के पौधो को समय–समय पर निकालते रहें।

6. कृषि विभाग की सिफारिशों के अनुसार अधिक उत्पादन लेने के लिए समय–समय पर खाद, सिचांई, पौध संरक्षण रसायनों का छिडकाव फसल पर आवश्यकतानुसार करें।

7. खाली बारदाने में बीज भरने से पूर्व अच्छी तरह से बारदाने की सफाई कर ले अन्य फसल/किस्म के बीज फसे होने के कारण बीज अमानक होने की संभावना हो सकती है।

8. मानक घोषित क्षेत्र में फसल की कटाई–गहाई कर अच्छी तरह सुखाकर, समान वजन की बोरियों में भरकर व अपना मार्का व बुक्रम पर्ची लगाकर तत्काल विधायन केन्द्र पर पहुचाएं।

9. बीज प्रमाणीकरण संस्था से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट को विधायन केन्द्र पर रॉ बीज जमा कराते समय प्रस्तुत करे।

10. बीज प्रमाणीकरण संस्था एवं राजसीड्स के द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत रॉ बीज प्राप्त करने की अंतिम दिनांक निर्धारित है। अतः कृषक निर्धारित दिनांक से पूर्व इकाई के अधिकारियों से सम्पर्क कर रॉ बीज जमा कराए, अंतिम दिनांक के पश्चात रॉ बीज प्रबंध निदेशक राजसीड्स की अनुमति के उपरान्त ही प्राप्त किया जावेगा।

11. रॉ बीज की प्राप्ति के समय गुणवत्ता का निरीक्षण किया जावेगा एवं रॉ बीज की गुणवत्ता सही नही होने पर राजसीड्स द्वारा रॉ बीज जमा नही किया जावेगा।

12. राजसीड्स/बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित अनुमानित उपज से अधिक रॉ बीज जमा नही किया जावेगा।

13. राजसीड्स द्वारा निर्धारित क्रय नीति अनुसार फसलवार क्रय दर निर्धारण एवं कृषकों के बीज उत्पादन पर प्रीमियम दिया जावेगा।

14. परिपत्र एफ2()बीज उत्पादन/2014–15/22308–22394 दिनांक 11.02.2015 से जारी बीज उत्पादन कार्यक्रम एवं संबंधित गतिविधियों के दिशा–निर्देश की पालना भी सुनिश्चित की जावें।

15. राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किये गये रॉ बीज के भौतिक सत्यापन पश्चात शेष रहे बीज उत्पादक कृषकों में से रेन्डम आधार पर 30 प्रतिशत कृषकों के रॉ बीज का भौतिक सत्यापन बीज अधिकारी/संयंत्र प्रबन्धक द्वारा किया जावेगा, जिसकी सूचना मुख्यालय भिजवाई जायेगी।

16. उत्पादन नीति में आकस्मिक परिवर्तन/संशोधन करने हेतु प्रबन्ध निदेशक अधिकृत होगे।

रॉ आधारित बीज उत्पादन कार्यक्रम :–

बीज उत्पादन लागत में किसानों को देय प्रिमियम मुख्य भाग होता है। इसको कम करने हेतु रबी 2024–25 में निदेशक मण्डल द्धारा रॉ बीज आधारित बीज उत्पादन का पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में तबीजी (अजमेर) इकाई पर चना किस्म जीएनजी–1581 बीज उत्पादन हेतु अनुमति दी गई है। इसकी अनुपालना में तबीजी (अजमेर) इकाई पर चना किस्म जीएनजी–1581 का रॉ आधारित बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया है।

राज सीड्स
की यह पहचान
उन्नत बीज, खुशहाल किसान